संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल्स पार्क में वर्ष 2024 के प्रथम उपसत्र में प्रवेश हेतु विवरण-पत्रिका

1.भूमिका :-

संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल्स पार्क, मध्यप्रदेश शासन की महत्वकांक्षी परियोजना ''**मध्यप्रदेश कौशल विकास परियोजना (MPSDP)**'' के अंतर्गत स्थापित देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का उन्नत स्किल प्रशिक्षण संस्थान है। इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य देश में उत्पादन एवं सेवाओं के लिए उत्कृष्ट तकनीकी प्रशिक्षण से जनशक्ति तैयार करना है, जिससे युवा वैश्विक स्तर पर उपयोग की जा रही नई तकनीकों से सुसज्जित होकर अधिक वेतन पर रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकें और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा को सिद्ध कर सकें।

संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल्स पार्क**,** भोपाल में एक वर्षीय एडवांस्ड कोर्सेज संचालित है, जिसमें विद्यार्थियों को एक्सपर्ट प्रशिक्षकों के द्वारा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानकों से सुसज्जित उच्च स्तरीय ट्रेनिंग सेंटर में ,उद्योगों के मांग के अनुरुप निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल्स पार्क की कार्यप्रणाली अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण संस्थानों के एक मॉडल पर आधारित हैं।

2.कोर्स एवं सीटों का विवरण :-

पाठ्यक्रमों के नाम	पात्रता	पाठ्यक्रम की अवधि	प्रवेश क्षमता
एडवांस्ड ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी	आईटीआई - मैकेनिक (ट्रैक्टर/ डीज़ल/मोटर व्हीकल) मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स / इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक/ मैकेनिक ऑटो बॉडी रिपेयर/ फिटर या समकक्ष* **अथवा** डिप्लोमा/डिग्री - ऑटोमोबाइल/ मैकेनिकल इंजीनियरिंग या समकक्ष*	एक वर्ष	120 सीटें
एडवांस्ड मैकेनिकल टेक्नोलॉजी	आईटीआई - फिटर/ मैकेनिकल मैंटेनेंस / शीट मेटल वर्कर/ वेलडर/ मेंटेनेंस मैकेनिक (केमिकल प्लांट) / पम्प ऑपरेटर कम मैकेनिक/ ऑपरेटर एडवांस मशीन टूल्स/ टूल्स एंड डाई मेकर या समकक्ष* **अथवा** डिप्लोमा/डिग्री - मैकेनिकल/ प्रोडक्शन इंजीनियरिंग/ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन/ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग या समकक्ष*	एक वर्ष	120 सीटें
एडवांस्ड मेकाट्रॉनिक्स	डिप्लोमा/डिग्री - मैकेनिकल/ इलेक्ट्रॉनिक्स / इलेक्ट्रिकल/ मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग/ मेकाट्रॉनिक्स या समकक्ष*	एक वर्ष	120 सीटें
एडवांस्ड मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल सर्विसेज	आईटीआई -फिटर/ इलेक्ट्रीशियन/आर.ए.सी./ मैकेनिक (डीज़ल) ट्रेड / वेलडर / प्लम्बर / वेलडर (फेब्रिकेशन एंड फिटिंग)/ मैकेनिक एयर-कंडीशनिंग प्लांट या समकक्ष* **अथवा** डिप्लोमा/डिग्री-मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या समकक्ष*	एक वर्ष	120 सीटें

* **06 जुलाई 2024 तक परीक्षा परिणाम देने वाले अंतिम वर्ष में अध्ययनरत विद्यार्थी पंजीकरण हेतु पात्र होगें**

* **उल्लेखित पात्रता के अतिरिक्त पात्रता अर्थात समकक्ष योग्यता का निर्धारण प्रवेश समिति द्वारा दिया जाएगा एवं उसका निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।**

➢ उपरोक्त पाठ्यक्रमों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया www.globalskillspark.in से ब्रोशर डाउनलोड कर अवलोकन करें।

3.संस्थान की प्रमुख विशेषताएं :-

➢ संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल्स पार्क, भोपाल में संचालित कोर्सो को आईटीई एजुकेशन सर्विसेज (ITEES), सिंगापुर के तकनीकी सहयोग से उद्योगों की मांग के अनुरूप सिलेबस तैयार कर प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

➢ कोर्स में प्रैक्टिकल एवं थ्योरी का अनुपात 70:30 है अर्थात प्रशिक्षण के दौरान कोर्स का 70% हिस्सा प्रैक्टिकल एवं 30% हिस्सा थ्योरी पर आधारित होगा।

➢ विद्यार्थियों को इंडस्ट्री-रेडी बनाने के लिए ग्लोबल स्किल्स पार्क में उन्हीं मशीनों पर प्रशिक्षण दिया जाता हैं, जो उस क्षेत्र के बड़े उद्योगों में उपयोग होती हैं।

➢ तकनीकी ज्ञान के साथ विद्यार्थियों को सॉफ्ट स्किल का भी प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें उनके व्यक्तित्व विकास को निखारने के लिए लीडरशिप और कम्युनिकेशन स्किल इत्यादि की ट्रेनिंग भी शामिल है।

➢ विद्यार्थियों के प्रशिक्षण समाप्त होने के पश्चात् उनके रोजगार के लिए संस्था ने मजबूत उद्योगों से संबंध स्थापित किए हैं।

4.जीवन कौशल प्रशिक्षण (Life skill training) :-

व्यक्तित्व विकास (**life skills training**) कोर्स का अतिरिक्त मॉड्यूल है और यह एक वर्षीय पाठ्यक्रम में शामिल है, इस मॉड्यूल में विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास से सम्बंधित प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, इस मॉड्यूल के माध्यम से विद्यार्थियों में, कैंपस प्लेसमेंट के लिए साक्षात्कार, नेतृत्व क्षमता, संचार क्षमता (कम्युनिकेशन स्किल), प्रस्तुतिकरण इत्यादि का प्रशिक्षण दिया जाता है।

5.सह पाठ्यक्रम गतिविधियां (Co-curricular Activities) :-

प्रशिक्षण की अवधि में लाइफ स्किल्स मॉड्यूल के साथ साथ विद्यार्थियों को कई अन्य गतिविधियों में भी भाग लेने का अवसर प्राप्त होता है| इनमें विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण, शैक्षणिक और रणनीतिक महत्व के स्थानों का भ्रमण, भाषण, पेंटिंग प्रतियोगिताएं , क्विज़ आदि जैसे निरंतर प्रयासों से विद्यार्थियों के व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन की संभावना बढ़ जाती है एवं उन्हें भविष्य में जीवन की चुनौतियों का सामना करने के बेहतर अवसर प्रदान करती है |

6.ऑन द जॉब ट्रेनिंग (OJT) :-

प्रत्येक कोर्स में ऑन द जॉब ट्रेनिंग (OJT) का वैकल्पिक मॉड्यूल है, और यह एक वर्षीय पाठ्यक्रम में शामिल है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग (OJT) में विद्यार्थियों को कोर्स के आधार पर आवंटित समय हेतु संस्था द्वारा विभिन्न उद्योगों में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है, जिससे विद्यार्थियों को औद्योगिक वातावरण एवं वहाँ की कार्यशैली को भली-भांति समझ सके।

7.परीक्षा का मूल्यांकन एवं सर्टिफिकेट :-

Practical Test	• Continuous assessment during module through Phase tests (Exercises on machines (2 to3) phase tests will be given during each module (Weightage- 60%))
Theory Test	• Continuous assessment through class test (8% weightage) • End term exam (32% weightage) • Total weightage 40%
Passing Mark	• 50% overall. (marks given in theory and practical test) • Less than 50% marks will be adjudged as fail.
Supplementary Exam	• One supplementary exam during the vacation period at each term. • Only one subject module supplementary is permitted. • Two or more subjects failing will result in repeat of the term and re-registration and fee payment.
Credits Allotment	• Proportionate to the duration of the module.
Industry Attachment	• Industry attachment module will be assessed by Industry and SSR GSP both (through presentation, report etc.) in 60%-40% proportion.

8.मार्कशीट एवं सर्टिफिकेट:-

संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल्स पार्क, भोपाल में संचालित कोर्सो के विद्यार्थियों के प्रशिक्षण उपरांत टर्म परीक्षा आयोजित की जाएगी। साल भर के कोर्स में 2 परीक्षा आयोजित की जाती है, एवं प्रत्येक परीक्षा में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होने पर मार्कशीट प्रदान की जाती है, जिन विद्यार्थियों ने दोनों टर्म की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, उन्हें संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल्स पार्क द्वारा जारी सर्टिफिकेट प्रदत्त किया जाता है।

9.रोजगार के अवसर: -

- राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न क्षेत्रों जैसे ऑटोमोबाइल, एयरोस्पेस, बायो मेंडिकल, हैवी इंजीनियरिंग, कैपिटल गुड्स, डिफेंस, टूलरूम, मैन्युफैक्चरिंग उद्योगों में कार्य करने के अवसर प्राप्त होगें।
- कोर्स के अंतिम मॉड्यूल से ही विद्यार्थियों के जॉब (Placement) हेतु प्रतिष्ठित उद्योगों को कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव हेतु आमंत्रित किया जाता है, जिससे विद्यार्थियों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकें।
- संस्था के प्लेसमेंट ऑफिसर, प्लेसमेंट गतिविधियों एवं विद्यार्थियों का प्लेसमेंट करवाने हेतु सतत् प्रयास करते है।

10.सामान्य जानकारी :-

- प्रतिदिन पांच घंटे प्रायोगिक एवं ढाई घंटे सैद्धांतिक कक्षाएं लगती हैं, शैक्षणिक स्कूल/कॉलेजों की तरह इसमें ग्रीष्मकालीन अवकाश अथवा कोई लंबी अवधि के अवकाश नहीं होते हैं।
- प्रवेश लेने के बाद किसी भी विद्यार्थियों को किसी अन्य संस्था/महाविद्यालय में प्रवेश लेने की अथवा परीक्षा में नियमित छात्र के रूप में सम्मलित होने की अनुमति नहीं दी जाती है।
- कोर्स के प्रत्येक मोड्यूल में अलग-अलग न्यूनतम उपस्थिति 85 प्रतिशत होना अनिवार्य है, इससे कम उपस्थिति होने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता नहीं होगी।
- लगातार 3 दिवसों तक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने पर निलंबन की कार्यवाही की जायेगी।
- संस्था से निष्कासन एवं परीक्षा में सम्मिलित होने से रोकने के लिए संस्था प्रमुख एवं उनसे उच्च अधिकारी अधिकृत होंगे।
- प्रशिक्षण प्राप्त करते समय यदि विद्यार्थियों को कोई चोट / हानि पहुँचती है, तो वह उसकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी, जिसके लिये प्रवेश के समय आवेदक को संलग्न प्रपत्र-1 में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- संस्था में प्रवेश के पश्चात् , यदि विद्यार्थी का प्रवेश किसी भी कारण से रद्द किया जाता है तो उसके द्वारा संस्था में जमा किया गया प्रशिक्षण शुल्क संस्था द्वारा वापस देय नहीं होगा।

11.प्रवेश प्रक्रिया :-

(संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल्स पार्क की प्रवेश प्रक्रिया निम्न चरणों में पूर्ण की जाएगी)

- सूचना /नोटिफ़िकेशन का प्रकाशन
- ऑनलाइन आवेदन फॉर्म (आवेदक को आवेदन फॉर्म ऑनलाइन एसएसआर ग्लोबल स्किल्स पार्क की वेबसाइट **www.globalskillspark.in** के माध्यम से जमा करना होगा, आवेदन का शुल्क मात्र 100/- रूपये ऑनलाइन देय होगा। एक से अधिक पाठ्यक्रमों का चयन पात्रतानुसार एक समय में करने पर रजिस्ट्रेशन शुल्क एक बार ही देय होगा।
- प्रवेश चयन सूची की घोषणा
- काउन्सलिंग एवं प्रवेश
- ओरिएंटेशन प्रोग्राम
- प्रशिक्षण प्रारम्भ

12.प्रशिक्षण शुल्क :-

❖ आईटीआई / डिप्लोमा / इंजीनियरिंग अभ्यार्थियों हेतु प्रशिक्षण शुल्क	
सामान्य /अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यार्थियों हेतु प्रशिक्षण शुल्क	**राशि रू. 15,000/-**
अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति /दिव्यांग /महिला अभ्यार्थियों हेतु प्रशिक्षण शुल्क	**राशि रू. 10,000/-**
❖ अंतर्राष्ट्रीय अभ्यार्थियों हेतु प्रशिक्षण शुल्क	**राशि रू. 80,000/-**

- ❖ प्रवेशित विद्यार्थियों को प्रशिक्षण शुल्क 1 अथवा 2 किश्तों में भरने का प्रावधान भी ऑनलाइन दिया गया है। किश्तों की राशि संस्थान द्वारा तय समय में भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा।
- ❖ प्रशिक्षण शुल्क में परिवर्तन समय समय पर एसएसआर ग्लोबल स्किल्स पार्क समिति द्वारा किया जा सकता है।

13. छात्रवृत्ति :-

संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल्स पार्क के विद्यार्थियों हेतु छात्रवृत्ति से संबंधित योजना निम्नानुसार है:-

क्र.	योजना का नाम	विवरण
1	निर्धन वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति	यह योजना मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना के तहत सम्मिलित की गई है।
2	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछडा़ वर्ग	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति

14.प्रवेश एवं प्रवेश में आरक्षण :-

- ➢ प्रवेश की कार्यवाही निर्धारित शैक्षणिक योग्यता की परीक्षा में प्राप्त अंको की मेरिट सूची बनाकर की जावेगी।
- ➢ प्रवेश, प्रवीणता के आधार पर निर्धारित आरक्षण के अनुसार दिया जावेगा।

प्रवेश हेतु कुल निर्धारित सीटों के विरुद्ध प्रवेश के लिए आरक्षित सीटों का प्रतिशत निम्नानुसार है :-

अंतर्राष्ट्रीय आवेदकों हेतु	**5% सीट्स**
अन्य राज्यों के आवेदकों हेतु	**20% सीट्स**
मध्यप्रदेश के आवेदकों हेतु	**75% सीट्स**

- राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय आवेदकों के लिए आरक्षित सीटों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग (संपन्न स्तर को छोड़कर) एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए पृथक से कोई आरक्षण नहीं होगा।
- प्रवेश के किसी भी चयन सूची में यदि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय आवेदकों के लिए आरक्षित सीटें रिक्त रहने की स्थिति पर, मध्य प्रदेश राज्य के आरक्षण रोस्टर अनुसार आवेदकों को आवंटित की जाएगी एवं प्रवेश दिया जायेगा।

14.1 वर्टिकल आरक्षण :-

(मध्यप्रदेश राज्य के आवेदकों हेतु)

स.क्र.	श्रेणी / वर्ग	प्रतिशत
01	अनुसूचित जाति (SC)	16 %
02	अनुसूचित जनजाति (ST)	20 %
03	पिछड़ा वर्ग (सम्पन्न स्तर को छोड़कर) (OBC)	14% (किसी भी प्रकार का संशोधन राज्य शासन के अंतिम निर्णय के अध्ययीन होगा। यदि किसी चलित Allotment की प्रक्रिया के दौरान यह आदेश पारित होता है तो यह अगले Allotment से लागू होगा)
04	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	10%

आरक्षित श्रेणी के लिए पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्र आवेदक उपलब्ध न होने पर रिक्त स्थानों को निम्नानुसार अन्य श्रेणी में परिवर्तन कर भरा जावेगा :-

- अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए आरक्षित रिक्त स्थान अनुसूचित जाति के आवेदकों से भरे जावेंगे। इसी प्रकार अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रिक्त स्थान पर अनुसूचित जनजाति के आवेदकों से भरे जावेंगे। इन दोनों श्रेणियों के आवेदक उपलब्ध न होने पर इन श्रेणियों के रिक्त स्थानों को अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों से भरा जावेगा। जब इन तीनो श्रेणी के आवेदक उपलब्ध नही होंगे, तब रिक्त स्थान सामान्य श्रेणी से भरा जावेगा।
- ऐसे आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS) के आवेदक जो स्वयं की योग्यता के आधार पर निर्धारित सामान्य मापदंड के अनुसार अनारक्षित श्रेणी के आवेदकों की योग्यता क्रम सूची में चयनित हो जायेंगे, उनकी गणना अनारक्षित श्रेणी में ही की जायेगी।
- आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) वर्ग के आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर रिक्त स्थान अनारक्षित श्रेणी से भरा जायेगा।

14.2 होरिजोंटल आरक्षण :-

- **महिलाओं के लिए** – मध्यप्रदेश की महिला नीति के अंतर्गत 30 प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिए निम्न प्रावधान अनुसार आरक्षित किये गये हैं :-
  1. 30 प्रतिशत आरक्षण वर्टिकल एवं होरिजोंटल श्रेणी में होगा।
  2. किसी भी वर्टिकल श्रेणी या उसके अंतर्गत होरिजोंटल वर्ग में महिला आवेदक न होने पर उस श्रेणी / वर्ग की पात्रता के पुरुष आवेदकों को प्रवेश दिया जावेगा, किन्तु महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान अन्य श्रेणी / वर्ग की महिलाओं में समायोजित नहीं किये जायेंगे।

- **नि:शक्तजन आवेदक** - ऐसे आवेदक जिनकी विकलांगता 40 प्रतिशत से ज्यादा है, के लिए कुल 06 प्रतिशत (अस्थिबाधित, श्रवणबाधित, दृष्टिबाधित प्रत्येक को 02 प्रतिशत) सीटें आरक्षित है।

15.समस्त प्रोविजनल मेरिट लिस्ट तैयार करने हेतु नियमों की जानकारी:-

- आईटीआई उत्तीर्ण आवेदकों के लिए आईटीआई में प्राप्तांको के आधार पर श्रेणी /वर्गवार मेरिट सूची तैयार की जाएगी।
- बी.ई. / बी.टेक. / डिप्लोमा के आवेदकों के लिए बी.ई. / बी.टेक. / डिप्लोमा में प्राप्तांको के आधार पर श्रेणी /वर्गवार मेरिट सूची तैयार की जाएगी।
- यदि किसी आवेदक ने आईटीआई एवं डिप्लोमा / बी.ई. / बी. टेक उत्तीर्ण किया है इस स्थिति में आवेदक आईटीआई एवं डिप्लोमा / बी.ई. / बी. टेक. दोनों की मेरिट सूची में पात्रता अनुसार चयनित हो सकेगा।
- आईटीआई के आवेदकों हेतु 60 सीटें निर्धारित हैं। आईटीआई की सीटें रिक्त रहने पर डिप्लोमा /बी.ई. /बी.टेक. के आवेदकों को आवंटित की जाएगी।
- डिप्लोमा/ बी.ई./बी.टेक. के आवेदकों हेतु 60 सीटें निर्धारित हैं। बी.ई. / बी.टेक. / डिप्लोमा के आवेदकों की सीटें रिक्त रहने पर आईटीआई के आवेदकों को आवंटित की जाएगी।
- मेकाट्रॉनिक्स कोर्स में केवल डिप्लोमा/ बी. ई./बी.टेक. के आवेदक पात्र हैं। अत: मेकाट्रॉनिक्स को छोड़ कर बाकी सभी कोर्स में उपरोक्त सीट परिवर्तन की व्यवस्था लागू होगी।
- कुल 120 सीटों की 75% (90 सीटें) मध्यप्रदेश राज्य के आवेदकों के लिए, 20% (24 सीटें) ऑल इंडिया (राष्ट्रीय) आवेदकों के लिए और 5% (6 सीटें) अंतर्राष्ट्रीय आवेदकों के लिए आरक्षित होंगी। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय आवेदकों की सीटें रिक्त रहने पर मध्यप्रदेश राज्य के आवेदकों को आवंटित की जाएगी।

प्रवेश में आरक्षण नियम (म.प्र. के आरक्षण नियमानुसार) का पालन करते हुए निम्नानुसार सीट्स का आवंटन किया जाना है:-

- आरक्षण के अनुसार सबसे पहले दिव्यांग आवेदकों के लिए आरक्षित (PWD / PH) की सीट मेरिट अनुसार उनके सम्बन्धित केटेगरी में भरी जाएगी।
- किसी भी वर्टिकल श्रेणी या उसके अंतर्गत होरिजोंटल वर्ग में महिला आवेदक नही होने पर उस श्रेणी / वर्ग की पात्रता के पुरुष आवेदक को प्रवेश दिया जावेगा, किन्तु महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान अन्य श्रेणी / वर्ग की महिलाओं में समायोजित नही किये जायेंगे।
- एक से अधिक आवेदकों के समान प्राप्तांक होने पर अधिक आयु के आवेदकों को प्राथमिकता दी जायेगी। उक्त निर्देशों / मार्गदर्शकों एवं सिद्धांतों के अनुसार प्रथम प्रोविजनल चयन सूची तैयार की जाएगी।

16.<u>आवंटन सूची एवं CLC लिस्ट तैयार करने हेतु नियमों की जानकारी :-</u>

- आवेदक द्वारा चयन सूची में नाम आने पर ,यदि प्रवेश नहीं लिया जाता है, तो आगामी चयन सूचियों में उसका दावा समाप्त हो जायेगा। किन्तु आवेदक रिक्त स्थान रहने की स्थिति में CLC राउंड में प्रवेश हेतु सम्मिलित हो सकेगा।
- यदि प्रथम सूची के दौरान राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय आवेदकों हेतु आरक्षित स्थान रिक्त रह जाते हैं तो, उन्हे म.प्र. सीटों में कन्वर्ट किया जाएगा एवं म.प्र. आरक्षण रोस्टर अनुसार प्रथम सूची एवं द्वितीय चयन सूची जारी की जाएगी।
- यदि द्वितीय चयन सूची के उपरांत प्रवेशित स्थान रिक्त रह जाते हैं तो म.प्र. आरक्षण रोस्टर अनुसार रिक्त सीटों के कनवर्ज़न किए जाएँगे एवं तृतीय चयन सूची जारी की जाएगी।
- यदि तृतीय चयन सूची जारी होने के उपरांत भी स्थान रिक्त रहने की स्थिति में **"पहले आओ पहले पाओ"** आधार पर CLC के माध्यम से प्रवेश की प्रकिया पूर्ण की जाएगी।
- प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए मेरिट लिस्ट पृथक-पृथक होगी, आवेदक को किसी एक पाठ्यक्रम में प्रवेश अंतिम तिथि तक लेना अनिवार्य है। एक पाठ्यक्रम से दूसरे पाठ्यक्रम में परिवर्तन केवल प्रवेश की अंतिम तिथि तक ही संभव है।

17.<u>प्रोविजनल संस्था CLC एडमिशन लिस्ट तैयार करने हेतु नियमों की जानकारी:-</u>

संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल्स पार्क में प्रवेश हेतु स्थान रिक्त रहने की स्थिति में सभी रिक्त सीटों हेतु आरक्षण समाप्त करते हुए सीटों को अनारक्षित सीटों में परिवर्तित कर संस्था के स्तर पर सभी पात्र आवेदकों द्वारा संस्थान में रिपोर्टिंग कर "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर संस्था में प्रवेश दिया जायेगा।

18.<u>परिवीक्षा:-</u>

- प्रशिक्षण अवधि में संस्था द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियमों का पालन विद्यार्थियों को करना होगा।
- एक माह अवधि तक प्रवेश पूर्ण रूप से अस्थाई होगा एवं जिन विद्यार्थियों का प्रशिक्षण के प्रति रूझान नहीं पाया जायेगा, उन्हें एक सूचना के बाद संस्था से मुक्त किया जा सकेगा।

19.<u>अनुशासन:-</u>

- विद्यार्थियों को संस्थान द्वारा समय-समय पर बनाए गए नियमों और विनियमों का पालन करना अनिवार्य है।
- विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह संस्था के नोटिस बोर्ड पर लगे नोटिस को नियमित रूप से पढ़े। समय-समय पर जारी नोटिस न पढ़ने के कारण विद्यार्थियों को हुई किसी भी हानि या क्षति के लिए संस्था जिम्मेदार नहीं है।
- विद्यार्थियों के आवासीय पते में किसी भी परिवर्तन के बारे में तुरंत कार्यालय को सूचित किया जाना अनिवार्य है।
- विद्यार्थियों को संस्था प्रशिक्षण के दौरान अपना पहचान पत्र साथ रखना होगा।
- संस्था में प्रशिक्षण के दौरान मोबाइल फ़ोन का उपयोग प्रतिबंधित है।
- संस्था में किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार के लिए विद्यार्थियों पर दंडात्मक एवं निष्कासन की कार्यवाही की जा सकती है।
- विद्यार्थियों को परिसर के बाहर किसी भी प्रकार की ऐसी गतिविधियों में शामिल नहीं होना है, जो संस्था के हितों और प्रतिष्ठा में प्रतिकूल प्रभाव डालती हो।
- संस्था में हानिकारक रसायनों एवं धूम्रपान का उपभोग करना, वितरित करना, और प्रतिबंधित दवाओं का अनाधिकृत उपयोग करना वर्जित है।
- संस्था परिसर में लापरवाही से गाड़ी चलाना/ नो पार्किंग ज़ोन में वाहन खड़ा करना, जिससे दूसरों को असुविधा हो सकती है, पूर्णतः वर्जित है।
- संस्था परिसर में प्रशिक्षणार्थियों को निर्धारित गणवेश में रहना एवं सुरक्षा मानकों का उपयोग करना अनिवार्य है।

संस्था के प्रशिक्षणार्थियों द्वारा अनुशासन भंग किये जाने या दुराचरण किये जाने पर उनके विरूद्ध संस्था के द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकेगी, जो कि (1) निलंबन (2) निष्कासन (3) परीक्षा एवं Placement में सम्मिलित होने से रोकना इत्यादि हो सकती है।

20.निष्कासन:-

- प्रवेश के समय अथवा इसके पश्चात् भी चाही गयी आवश्यक जानकारी / प्रमाण पत्र इत्यादि प्रस्तुत न करने पर।
- प्रस्तुत जानकारी / प्रमाण पत्र इत्यादि संस्था द्वारा गलत / भ्रामक पाये जाने पर (आवश्यकतानुसार) प्रकरणों को उचित आगामी कार्यवाही के लिये भेजा जा सकता है।
- संस्था के कार्यशाला, पठन-पाठन में लापरवाही, अनुशासनहीनता या दुराचरण करने पर।
- विद्यार्थियों की उपस्थिति अथवा प्रगति असंतोषजनक होने पर अथवा अन्य किसी भी कारण से व्यावायिक प्रशिक्षण हेतु अयोग्य पाये जाने पर।
- आवेदक को भर्ती के पूर्व अथवा प्रशिक्षण अवधि में पुलिस अथवा न्यायालय के किसी भी प्रकरण से संबंधित होना पाये जाने पर।
- प्रवेश गलत है की शिकायत प्राप्त होने पर जांच में शिकायत सही पाये जाने पर प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।

21.अवकाश:-

प्रशिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को दिए जाने वाले अवकाश का प्रावधान निम्नानुसार है :-

- **आकस्मिक अवकाश -** विद्यार्थियों को प्रत्येक टर्म के दौरान 6 आकस्मिक अवकाश, या एक वर्ष के पाठ्यक्रम में कुल 12 आकस्मिक अवकाश संस्था प्रमुख / सम्बंधित अधिकारी की अनुमति के उपरांत ले सकता है।
- **चिकित्सा अवकाश -** एक वर्ष के पाठ्यक्रम की अवधि में अधिकतम 12 चिकित्सा अवकाश वास्तविक चिकित्सा आधार या चिकित्सा प्रमाण पत्र का विश्लेषण कर स्वीकृत किया जा सकता है।
- **विशेष अवकाश -** किसी विशेष परिस्थिति में प्रशिक्षणार्थी को संस्था प्रमुख के अनुमोदन के पश्चात् अधिकतम 10 दिनों का अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।

22.अनुपस्थिति:-

बिना किसी सूचना के अनुपस्थिति की स्थिति में प्राथमिक रूप से 3 दिन के पश्चात् विद्यार्थी के परिवार को संस्था के द्वारा पत्राचार के माध्यम से सूचित किया जाएगा, उसके उपरांत भी यदि वह अवकाश पर रहता है तो उसे आर्थिक दंड दिया जाएगा और उसके उपरांत भी यदि वह अवकाश पर रहता है तो उसका प्रवेश निरस्त किए जाने का अधिकार संस्था के पास रहेगा I

23.अपील:-

प्रवेश निष्कासन इत्यादि संबंधी शिकायत अथवा अपील मुख्य कार्यपालन अधिकारी संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल्स पार्क को सामान्यतः एक माह के अंदर प्राप्त होने पर विचार किया जा सकेगा। विद्यार्थियों / अपीलकर्ता के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी का निर्णय अंतिम एवं बंधन कारक होगा।

24.संशोधन:-

आवश्यकतानुसार इस नीति में कोई भी संशोधन निम्नलिखित समिति की अनुशंसा पर किया जा सकेगा।

- सीनियर निदेशक – अध्यक्ष
- निदेशक - सदस्य (प्रवेश संबंधित)
- क्लस्टर हेड अथवा वरिष्ठ कोर्स हेड - सचिव
- समिति की सिफारिश के आधार पर सीईओ समीक्षा कर संशोधन के लिए स्वीकृति दे सकेंगे।

Annexure 1

Declaration to be presented at the time of admission

(Affidavit)

I……………………………………...................**S/o/D/o**……………………………………………………........

Course Name ………………………………………… Session ....want to take admission in **Sant Shiromani Ravidas Global Skills Park, Hazrat Nizamuddin Colony, Bhopal (Madhya Pradesh)**

I completely understand and hereby declare that if I get any type of physical injury during the training then it will be solely my responsibility.

By signing below, I agree to that I will not claim for any kind of recovery against any injury/damage caused to me. I release the Institute named above from all liability, costs and damages. I understand that the fee paid by me is non-refundable.

Date: ………………… **Signature of Applicant**

Place: …………………

(1) Reference detail.

Name: - ……………………………………………….

Address: - …………………………………………….

Mobile No.: - ………………………………………….

(2) Reference detail.

Name: - ……………………………………………….
Address: - …………………………………………….
Mobile: -…………………………………….........

STUDENT UNDERTAKING

I, Shri/ Smt/ Miss/ ……………………………………… Son /daughter /wife of Shri..

village/Town ……………………………………, Tehsil ……………………… in the District of ……………………………………. Hereby declare that I will not join any other course while continuing my regular course at Sant Shiromani Ravidas Global Skills Park. In case I am found guilty, institute holds the right to take appropriate disciplinary action against me.

Signature of the Parent/Guardian **Signature of the student**

Date:

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व

तहसील – ....

जिला - ...., मध्यप्रदेश

<u>(अनुसूचित जाति का स्थायी प्रमाण पत्र)</u>

प्रकरण क्रमांक ..../ जाति प्रमाण पत्र   दिनांक : ....

प्रमाण पत्र क्रमांक : ....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री .... पुत्र श्री ....(पिता) एवं श्रीमती .... (माता) ग्राम .... , जिला .... (मध्यप्रदेश) .... जाति के सदस्य हैं। उनकी जाति संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के लिए अधिसूचित **अनुसूचित जाति** की सूची में अनुक्रमांक .... पर निम्नलिखित के तहत विनिर्दिष्ट की गई है:-

1. संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950
2. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976

श्री............................ पुत्र श्री .... सामान्यत: (Ordinary) ग्राम .... , तहसील ...., जिला .... (मध्यप्रदेश) के निवासी है।

स्थान :

दिनांक :

आधार नंबर :   Signature

समग्र नं :   तहसील - ....   अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)

1.प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रमाण पत्र म.प्र. शासन की Digitally Signed document repository www.mpedistrict.gov.in से डाउनलोड किया गया है। प्रमाण पत्र पर सक्षम अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर है।

2.यह प्रमाण पत्र सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत मान्य है।

3.प्रमाण पत्र का सत्यायपन पंजीयन क्रं...................................... के द्वारा बेबसाईट http//www.mpedistrict.gov.inके माध्यम से किया जा सकता है।

Seal Authority

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व

तहसील – ....

जिला - ...., मध्यप्रदेश

(अनुसूचित जनजाति का स्थायी प्रमाण पत्र)

प्रकरण क्रमांक ..../ जाति प्रमाण पत्र दिनांक : ....

प्रमाण पत्र क्रमांक : ....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री .... पुत्र श्री ....(पिता) एवं श्रीमती .... (माता) ग्राम .... , जिला .... (मध्यप्रदेश) .... जाति के सदस्य हैं। उनकी जाति संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के लिए अधिसूचित अनुसूचित जनजाति की सूची में अनुक्रमांक .... पर निम्नलिखित के तहत विनिर्दिष्ट की गई है:-

1. संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950
2. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976

श्री........................... पुत्र श्री .... सामान्यत: (Ordinarly) ग्राम .... तहसील.................. , जिला .... (मध्यप्रदेश) के निवासी है।

स्थान :

दिनांक :

आधार नंबर : Signature

समग्र नं : तहसील - .... अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)

1.प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रमाण पत्र म.प्र. शासन की Digitally Signed document repository www.mpedistrict.gov.in से डाउनलोड किया गया है। प्रमाण पत्र पर सक्षम अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर है।

2.यह प्रमाण पत्र सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत मान्य है।

3.प्रमाण पत्र का सत्यायपन पंजीयन क्रं.................................... के द्वारा बेबसाईट http//www.mpedistrict.gov.inके माध्यम से किया जा सकता है।

Seal Authority

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व

तहसील – ....

जिला - ...., मध्यप्रदेश

(अन्य पिछड़े वर्ग का स्थायी जाति प्रमाण - पत्र)

प्रकरणक्रमांक................./जातिप्रमाणपत्र दिनांक : ....

प्रमाण पत्र क्रमांक : ....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री .... पुत्र श्री ....(पिता) एवं श्रीमती .... (माता) ग्राम .... , जिला .... (मध्यप्रदेश) .... जाति के हैं, यह जाति राज्य के लिए अधिसूचित अन्य पिछडा वर्ग की जाति में अधिसूचित सूची में अनुक्रमांक ...... निम्नलिखित के तहत विनिर्दिष्ट की गई है:-

1. मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 8-5-पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984.
   2. पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 23-4-97 – चौवन, दिनांक 2 अप्रैल, 1997.
   3. इस संदर्भ में समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं द्वारा अधिमान्य किया गया है।

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है श्री .... क्रीमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) व्यक्तियों/वर्गों की श्रेणी में नहीं आते है, जिसका उल्लेख मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 7-26-93-1-आ.प्र., दिनांक 8 मार्च, 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट (ई) की अनुसूची के कालम (3) में किया गया है।

3. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री .... के परिवार की कुल वार्षिक आय उनके द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र/सक्षम प्राधिकारी/ नियोक्ता द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र के आधार पर रूपये .... है।

4. श्री .... पुत्र श्री .... सामान्यत: (Ordinarly) ग्राम .... , तहसील.................., जिला .... (मध्यप्रदेश) के निवासी है।

स्थान :

दिनांक :

आधार नंबर : Signature

समग्र नं : **तहसील - ....** **अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)**

1. प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रमाण पत्र म.प्र. शासन की Digitally Signed document repository www.mpedistrict.gov.in से डाउनलोड किया गया है। प्रमाण पत्र पर सक्षम अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर है।
2. यह प्रमाण पत्र सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत मान्य है।
3 .प्रमाण पत्र का सत्यायपन पंजीयन क्रं...................................... के द्वारा बेबसाईट http//www.mpedistrict.gov.inके माध्यम से किया जा सकता है।

Seal Authority

मध्यप्रदेश शासन

तहसील – ....

जिला - ...., मध्यप्रदेश

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण - पत्र)

प्रमाणपत्र संख्या: दिनांक : ....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री /श्रीमति/ कु....................... पुत्र / पत्नी पुत्री.............................. ग्राम/कस्बा .... पोस्ट ऑफिस ....थाना................................... तहसील............................ जिला.....................राज्य................................... पिन कोड............................के स्थायी निवासी है, जिनकी फोटोग्राफ नीचे अभिप्रमाणित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य है. क्योंकि वित्तीय वर्ष................................ में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय ....से कम है।

इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसंपत्ति नहीं है:-

1. 5 एकड़ या उससे अधिक भूमि (जिसके खसरे में तीन साल से लगातार उसर, पथरीली, बीहड़ भूमि अंकित हो, वह भूमि इस भूमि में शामिल नहीं होगी)।
2. 1200 वर्गफुट से अधिक का आवासीय मकान/ फ्लैट नगर निगम क्षेत्र मैं।
3. जिसके पास नगर पालिका क्षेत्र में 1500 वर्गफुट से अधिक का आवासीय मकान /फ्लैट।
4. नगर परिषद् क्षेत्र में जिसके पास 1800 वर्गफुट से ज्यादा का आवासीय मकान / फ्लैट।

श्री/श्रीमति/कुमारी.............................. जाति..................... के सदस्य हैं जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित नहीं है।

हस्ताक्षर............... (कार्यालय के मुहर सहित)

स्थान : ....

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)

दिनांक : ....

आवेदक का पासपोर्ट आकार का अभिप्रमाणित फोटो

*नोट 1: सभी स्त्रोतों से अर्जित आय जैसे वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशे आदि।

**नोट 2: इस उद्देश्य के लिए “ परिवार” शब्द का अर्थ वह व्यक्ति जो आरक्षण का लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और भाई-बहन (18 साल से कम उम्र के) के साथ साथ उसके पति अथवा पत्नी और 18 वर्ष से कम उम्र पुत्र/ पुत्री।

***नोट 3: ई. डब्लयू. एस. के अर्तगत घोषणा में विभिन्न स्थानों/ शहरों/ जगहों में “ परिवार” द्वारा अर्जित संपत्ति को संयोजित किया गया है।

Frequently Asked Questions-

1)मुझे कहां आवेदन करना चाहिए और मुझे प्रवेश संबंधी विवरण कहां मिलेंगे?

उत्तर: कृपया www.globalskillspark.in पर लॉगइन करें।

2) क्या कोई आवेदन शुल्क है?

उत्तर- हाँ

3) पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम शुल्क क्या है?

उत्तर- UR/OBC Rs. 15,000/-, SC/ST/PWD/Women Rs.10,000/-

4) मैं एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकता हूं ?

उत्तर- www.globalskillspark.in पेज पर जाएं, फिर 'डाउनलोड एडमिट कार्ड'...

5) क्या कक्षाएं ऑनलाइन या परिसर में भौतिक मोड में आयोजित की जाएंगी?

उत्तर- भौतिक मोड़ में ।

6) एसएसआर जीएसपी प्लेसमेंट में कैसे सहायता करेगा?

उत्तर- विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित कंपनियां में सफल प्रशिक्षुओं को प्लेसमेंट सहायता प्रदान की जाएगी।

7) क्या मुझे ऑनलाइन आवेदन पत्र की एक प्रति संस्था में भेजने की आवश्यकता है?

उत्तर- नहीं

8) क्या एसएसआर जीएसपी में छात्रवृत्ति का कोई प्रावधान है?

उत्तर : हाँ , MMJKY योजना के अंतर्गत पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की सुविधा है इसके अतिरिक्त SC/ST/OBC वर्ग के विद्यार्थियों के लिए शासन द्वारा प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति दिये जाने की प्रक्रिया प्रचलन में है ।

9) मैं एक कामकाजी पेशेवर हूं. क्या मैं इन पाठ्यक्रमों में दूरस्थ मोड में शामिल हो सकता हूँ?

उत्तर- नहीं